



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुंवारका एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नलहेड़ा गुर्जर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलहेड़ी बुजुर्ग में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-आई0/नि0अ0-21/2026-27/382, दिनांक 23.09.2026 तथा शासनादेश संख्या-आई0/144724/2026-5-6099/194/2026, दिनांक 31.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 31.08.2026 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु "विभागीय अभियन्त्रण इकाई" को कार्यदायी सिद्ध नामित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.09.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुंवारका एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नलहेड़ा गुर्जर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलहेड़ी बुजुर्ग में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण के निम्नलिखित कार्य हेतु धनराशि रुपये 150.82 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अनुदान संख्या-83, चेखाशीर्षक-4210-02-789-05-प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों पर जलसम्पत्ति विकास/नवीनीकरण एवं नवीनीकरण-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि रुपये 76.01 लाख तथा रुपये 74.81 लाख पुर्नविनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार) अर्थात् कुल धनराशि रुपये 150.82 लाख (एक करोड़ पचास लाख बयासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	परीक्षित लागत
1	2	3
1	जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुंवारका में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण का कार्य।	73.27
2	जनपद सहारनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नलहेड़ा गुर्जर में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण का कार्य।	38.93
3	जनपद सहारनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलहेड़ी बुजुर्ग में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण का कार्य।	38.62
	योग	150.82

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष, 2026-27 में नहीं की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृति धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,82,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 089 लघुशेषक 4210027890500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सा0स्वा0 केन्द्रों व उप केन्द्रों में जल सम्पूर्ति विद्युतीकरण सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कषाधिकारी, सहारनपुर।
4. निदेशक (सा0एच0सी0/पी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

बी0एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A005-2026-2027-5 6099 194 2026 6

विषय:-वित्तीय वर्ष, 2026-27 में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुंवारका एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नलहेडा गुर्जर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलहेड़ी बुजुर्ग में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण हेतु अनुमानित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4210027890900 (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय)	26 (मशीनों और सज्जा / उपकरण और संयंत्र)	6,68,29,000 रुपये छह करोड़ अड़सठ लाख उन्तीस हजार मात्र	2,49,55,875 रुपये दो करोड़ उन्चास लाख पचपन हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र	74,81,000 रुपये चौहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र	74,81,000 रुपये चौहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र	1,74,74,875 रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख चौहत्तर हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र	2026-2027
कुल					₹ 74,81,000	₹ 74,81,000		

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4210027890500 (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सा.स्वा. केन्द्रों व उप केन्द्रों में जल आपूर्ति, विद्युतीकरण सुधार विस्तार एवं नवीनीकरण)	124 (प्लंबिंग और विद्युत कार्य)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	74,81,000 रुपये चौहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र	74,81,000 रुपये चौहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र	2,24,81,000 रुपये दो करोड़ चौबीस लाख इक्यासी हजार मात्र	2026-2027
कुल				₹ 74,81,000	₹ 74,81,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना

चाहें:-

- (1) प्रस्ताव (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-2027/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष, 2026-27 में नहीं की जाएगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।
- (1) **उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय के मद में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आय-व्ययक में क्रम संख्या-1 में अंकित मद में रुपये 668.29 लाख का प्राविधान उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष

रूपये 418.73 लाख की स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त इस मद में रूपये 249.56 लाख की धनराशि अवशेष उपलब्ध है, जिसके सरापेक्ष रूपये 74.81 लाख की बचत संभावित है।

(2) उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

महानिदेशालय के पत्र दिनांक 11.06.2026 के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 31.08.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुंवारका एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नलहेडा गुर्जर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलहेडी बुजुर्ग में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण कार्यों हेतु "विभागीय अभियंत्रण इकाई" को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रूपये 150.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष रूपये 73.99 लाख की स्वीकृति जारी होने के उपरान्त इस मद में रूपये 76.01 लाख की धनराशि अवशेष उपलब्ध है। इस मद में रूपये 74.81 लाख (चौहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट में अनुभाग के प्रस्तर-150 व 151 में निर्विष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-124, दिनांक 29 सितम्बर, 2026

चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव

सेवा में
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

कपिल देव भारती
अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मुख्यार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकार/वांछित कोषाधिकारी।
4. निदेशक, वित्तिय मांड्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय निःक्षण), अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त लेखा अनुभाग।
6. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

आज्ञा से
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव